संख्या – 2030/8–4–08–175एन(डब्लू)/03

प्रेषक,

श्रीकृष्ण,

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **समस्त मण्डलायुक्त, उ.प्र.।**
2. **समस्त जिलाधिकारी, उ.प्र.।**
3. **लखनऊ विकास प्राधिकरण।**

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–4 लखनऊः दिनांक 04 नवम्बर, 2008

विषय : नजूल भूमि के प्रबन्ध एवं निस्तारण के संबंध में जारी शासनादेश में संशोधन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1738/8–4–05–175एन(डब्लू)/03, दिनांक 05.10.05 के संदर्भ में मुझे यह करने का निदेश हुआ है कि विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या–1273–1275/98 को मा. उच्चतम न्यायालय द्वारा आदेश/निर्णय दिनांक 26.10.04 में अन्तिम रूप से निर्णीत करके मा. उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा रिट याचिका संख्या–32605/1991–सत्य नारायण कपूर बनाम राज्य सरकार में दिनांक 15.10.97 को पारित निर्णय को सेट–एसाईड करते हुए प्रकारण को नये सिरे से सुनवाई करके निर्णय दिये जाने हेतु मा. उच्च न्यायालय इलाहाबाद को रिमाण्ड कर दिया गया। तद्नुरूप रिट याचिका संख्या–32605/91 की पुनः सुनवाई करते हुए अपने निर्णय/आदेश दिनांक 21.03.07 द्वारा उक्त रिट याचिका को मा. उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त (डिसमिस) कर दिया गया है।

2. उपरोक्त उल्लिखित स्थिति में शासनादेश संख्या–1738/8–4–05–175एन(डब्लू)/03, दिनांक 05.10.05 को निरस्त किया जाता है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि शासनादेश संख्या–2268/9–आ–4–98–70एन/97, दिनांक 01 दिसम्बर 01.12.98 के प्रस्तर–10 के नीचे उप प्रस्तर–10 के नीचे उप प्रस्तर में उल्लिखित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या–1557–59/98 में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होने वाली शर्त का औचित्य नहीं रह गया है, उसे भी समाप्त समझा जाय।

भवदीय,

श्रीकृष्ण
प्रमुख सचिव

संख्या : 2030(1)/8–4–08, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त स्थानीय निकाय, उ.प्र.।
2. वित्त (व्यय–नियन्त्रण) अनुभाग–8
3. गार्ड फाइल।।

आज्ञा से,

विष्णु प्रताप सिंह

संयुक्त सचिव।